चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कानपुर–208 002

प्रबन्ध मण्डल की

116वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : नवम्बर 23, 2001
समय : पूर्वान्ह 11:00 बजे
स्थान : मण्डी परिषद समिति कक्ष , गोमती नगर, लखनऊ

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कानपुर–208 002

राजीव कुमार दीक्षित
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर – 208 002
फोन : 540591 (कार्यालय)
पी0बी0एक्स0 : 294641–45 (106)

18

1–	कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	अध्यक्ष
2–	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ	सदस्य
3–	सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ	सदस्य
4–	सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ	सदस्य
5–	निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
6–	निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
7–	डा0 आर0सी0महेश्वरी, सहायक महानिदेशक, (सीएससी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
8–	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, विधायक, बी–231, फेज–1, टिकैतराय आवासीय, एल0डी0ए0 कालोनी, मोहान रोड, लखनऊ	सदस्य
9–	श्री बाल चन्द मिश्र, विधायक, 185, मध्यम आय वर्ग, केशव नगर, डबलू ब्लाक, जूही, कानपुर	सदस्य
10	श्री अमर सिंह, ग्राम व पोस्ट– फतेहपुरा, वाया बकेवर जनपद – इटावा	सदस्य
11	श्रीमती मुन्नी देवी राजपूत पत्नी श्री अखिलेश सिंह राजपूत, ग्राम – खरौली, पो0 – छिबरामऊ, जनपद– कन्नौज	सदस्य
12	श्री अशोक दुबे, सदस्य विधान परिषद, अशोक नगर, इटावा	सदस्य
13	डा0 एच0 के0 सक्सेना 2ए.408, आजाद नगर, कानपुर।	सदस्य
14	श्री पुरुषोत्तम लाल तोशनीवाल, महामंत्री, गौशाला भवन, 55 / 112 जनरल गंज, कानपुर	सदस्य

पत्रांक : सीएसयूपी/ सी–247 /बोर्ड–116/2001 दिनांक : नवम्बर 25, 2001महोदय,

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 116वीं बैठक जो दिनांक 23–11–2001 को मण्डी परिषद, गोमती नगर, लखनऊ के समिति कक्ष में सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की एक प्रति आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है ।

भवदीय,

25.11.01

(आर0 के0 दीक्षित)
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव प्रबन्ध मण्डल

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर –2
प्रबन्ध मण्डल की 116 वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान : मण्डी परिषद सभा कक्ष, गोमती नगर, लखनऊ **दिनांक : नवम्बर 23, 2001**

समय : पूर्वान्ह 11.00बजे

उपस्थिति

1	डा0 एस0बी0सिंह कुलपति,	अध्यक्ष
2	डा0 नसीम जैदी, सचिव, कृषि	सदस्य
3	श्री हिमान्शु कुमार, विशेष सचिव, वित्त	सदस्य
4	श्री बाल चन्द्र मिश्र, विधायक	सदस्य
5	श्री राजेन्द्र सिंह, निदेशक, कृषि	सदस्य
6	डा0ए0के0 सिंह, निदेशक, पशुपालन	सदस्य
7	डा0 हरी कृष्ण सक्सेना	सदस्य
8	श्रीमती मुन्नी देवी राजपूत	सदस्य
9	श्री अमर सिंह	सदस्य
10	श्री आर0 के0 दीक्षित, अर्थ नियंत्रक	सचिव

अनुपस्थित

1	सचिव, उच्च शिक्षा	सदस्य
2	श्री अशोक कुमार दुबे, सदस्य विधान परिषद	सदस्य
3	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, विधायक	सदस्य
4	डा0 आर0सी0महेश्वरी, सहायक महानिदेशक (सी0एस0सी0) आई0सी0ए0आर0 नई दिल्ली	सदस्य
5	श्री पुरूषोत्तम लाल तोशनीवाल	सदस्य

मद संख्या 1 :

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 03.09.2001 को सम्पन्न हुई 115वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने 115 वीं बैठक जो दिनांक 3.9.2001 को सम्पन्न हुई थी, के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

25.11.01

मद संख्या 2 :

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की 115वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 3.9.2001 को सम्पन्न हुई 115वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर विश्वविद्यालय स्तर पर की गयी कार्यवाही को प्रबन्ध मण्डल ने संज्ञान में लिया और निम्न निर्णय लियेः

1. दिनांक 6.6.81 से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा कृषि सेवा वर्ग 2 व वर्ग 3 के पदों पर नियुक्त याची तथा गैर याची शोध सहायकों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि शासन से दोनो प्रकार के प्रकरणों पर शीघ्र निर्णय हेतु अनुरोध किया जाय।
2. प्रबन्ध मण्डल की 115वीं बैठक के मद संख्या 6 के अन्तर्गत लिये निर्णय के क्रम में डा० जे०पी०यादव, निदेशक प्रसार, द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण को प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में विचारार्थ एवम् निर्णयार्थ रखा जाय ।

मद संख्या 3 :

पिछली बैठक में आगामी बैठक तक के लिये स्थगित किये गये प्रकरण पर विचार।

(अ) विज्ञापन संख्या 1/2001 द्वारा विज्ञापित विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्र एवं गृह विज्ञान संकाय के पदो पर हुये साक्षात्कार के उपरान्त चयन संस्तुतियों के बन्द लिफाफे खोलकर नियुक्तियों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मंडल ने कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं गृह विज्ञान संकाय के निम्न पदों पर चयन समितियों की संस्तुतियों को स्वीकार किया एवं नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

(अ) कृषि विज्ञान केन्द्रों के पद

		Selected	Waiting
1.	Training Organizer (Agriculture)	Dr. Haresh Pratap Singh (Gen) None found suitable (SC)	Dr. Jaideep Singh (Gen.) None
2.	Training Associate (Agril. Extension)	Dr. Yogesh Kumar Sharma (Gen.) Shri. Naushad Alam (OBC) Sri Rajiv Kumar Doharey (SC)	1. Sri Rudra Pratap Narayan Singh (Gen.) 2. Dr. Keshar (Gen.) Dr. Angad Prasad (OBC) Sri. Arvind Kumar (SC)
3	Training Associate (Agronomy)	Dr. Anjani Kumar (Gen.)	1. Dr. Digvijay Singh (Gen.) 2. Sri Athar Husain Warsi (Gen.)

25.11.01

4	Training Associate (Horticulture)	Dr. Santosh Kumar Vishwakarama (OBC)	Dr. Rajeev Kumar (OBC)
5	Training Associate (Animal Husbandry)	Sri. Devendra Swroop (OBC)	Sri Safeer Alam (OBC)
6	Training Associate (Plant Protection)	1. Dr. Awadhesh Kumar Tiwari (Gen.) 2. Dr. Ajai Kumar Singh (Gen.) Dr. Satya Kumar (SC)	1. Mrs. Amita Singh(Gen.) 2. Dr. Sarvendra Singh (Gen.) 3. Dr. Sunita (Gen.) 4. **Dr.Harsh Vardhan Singh(Gen.)** Dr. Ram Palat (SC)
7	Training Associate (Home Science)	Kr. Sadhna Vaish (Gen.)	1. Mukta Singh (Gen.) 2. Renu Singh (Gen.)

(ब)गृह विज्ञान संकाय का पद

1	Assistant Professor (Food Nutrition & Family Resource Management)	Mrs. Vinita Singh (Gen.)	1. Km. Rashmi Singh (Gen.) 2. Mrs. Monika Mittal (Gen.)

मद संख्या 4 :

के0जी0के0 फर्रूखाबाद मे एस0एम0एस0(उपज उत्पादन) के पद पर कार्यरत डा0 चुनचुन कुमार के उक्त पद से दिनांक 13.9.2001 के अपरान्ह से त्याग–पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही को अनुमोदित करते हुये डा0 चुनचुन कुमार का दिनांक 13.9.2001 के अपरान्ह से त्याग–पत्र स्वीकृत किया।

मद संख्या 5 :

गृह विज्ञान संकाय में सहायक प्राध्यापक (फूड एण्ड न्यूट्रीशन) के पद पर कार्यरत डा0 (श्रीमती) साधना के उक्त पद से दिनांक 15.10.2001 के अपरान्ह से त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही को अनुमोदित करते हुये डा0(श्रीमती) साधना का दिनांक 15.10.2001 से त्याग पत्र स्वीकार किया।

मद संख्या 6 :

कृषि संकाय से कृषि अभियांत्रिकी विभाग को समाप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर , अनुमोदन प्रदान किया।

25.11.01

मद संख्या 7 :

कृषि संकाय में बेसिक साइन्सेज एवं ह्यूमिनिटीज का सेक्शन खोले जाने हेतु प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 8:

विश्व खाद्य संगठन, रोम द्वारा वित्त पोषित ''स्ट्रेटेजी डेवलपमेन्ट प्रोसेस फार ए कन्ट्रीवेस्टेड कोपरेटिव एण्ड सस्टेनेबिल फार्म रिकार्ड कीपिंग एण्ड एकाउन्टिंग सिस्टम'' योजना को विश्वविद्यालय में संचालन हेतु अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 9 :

कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत अर्ह शिक्षकों/ वैज्ञानिकों को प्रोन्नति प्रदान करने हेतु चयन समितियों की संस्तुतियों की संस्तुति के बन्द लिफाफे खोलकर अनुमोदन किए जाने सम्बन्धी 115 वीं बैठक में मद सं0 4 के अन्तर्गत लिए गये निर्णय में संशोधन हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या : 10

डा0 राजीव सिंह सहायक प्राध्यापक (बिजनेस मैनेजमेन्ट) कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय इटावा में कार्यरत को 129 दिन का चिकित्सावकाश स्वीकृत हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया और नियमानुसार चिकित्सावकाश एवं उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 11:

डा0ए0एस0वारसी, सेवानिवृत्त निदेशक, कृषि प्रयोग केन्द्र द्वारा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद में की गई सेवाओं को पेशन गणना हेतु जोड़े जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर डा0ए0एस0वारसी, द्वारा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद में दिनांक 23.04.82 से दिनांक 15.07.87 तक की उनके द्वारा की गई सेवाओं को पेंशन गणना हेतु जोड़े जाने हेतु अनुमोदित किया ।

25.11.01

मद संख्या 12 :

सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ से शर्तो के अधीन विश्वविद्यालय में समायोजित श्री महेन्द्र सिंह, सह–प्रशिक्षक, एग्रोफारिस्ट्री (के0वी0के0) के बिना अनुमति के दि0 1.6.95 से 14.3.99 तक की अवधि में हिन्द एग्रोइन्डस्ट्रीज लि0 अलीगढ़ में चलें जाने के प्रकरण पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विस्तृत विचार कर निर्णय लिया कि श्री महेन्द्र सिंह सह–प्रशिक्षक, एग्रोफारिस्ट्री (के0वी0के0) के द्वारा हिन्द एग्रोइन्डस्ट्रीज लि0 अलीगढ़ में दिनांक 1.6.95 से 14.3.99 तक विश्वविद्यालय के अस्वीकृति के उपरान्त भी की गई सेवा के विरुद्ध पर आरोप पत्र निर्गत किया जाये तथा सक्षम अधिकारी से जांच कराकर जांच आख्या आगामी निदेशक मण्डल के बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

मद संख्या 13 :

जीर्ण–क्षीर्ण अवस्था में विश्वविद्यालय परिसर में स्थित स्पेशल क्वाटर्स को नीलाम करने के सम्बन्ध में माननीय प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया एवं स्पेशल क्वाटर्स के नाम से प्रचलित आवास को ध्वस्त करने एवं उसके मलवे को निविदा आमंत्रित कर नीलाम करने की स्वीकृत प्रदान किया।

मद संख्या 14:

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की शैक्षिक प्रगति, वित्तीय प्रगति तथा शोध एवं प्रसार प्रगति पर आख्या।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त प्रस्ताव को आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया ।

25.11.01

मद संख्या : 15

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार।

मद संख्या : 15 (अ)

श्री टी0सी0मिश्र, शोध अभियन्ता, कृषि अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, इटावा के विरूद्ध लगाये गये आरोपों पर जॉच अधिकारी डा0 के0डी0उपाध्याय, द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल की 115 वीं बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुसार डा0 के0डी0उपाध्याय अधिष्ठाता कृषि संकाय एवं जॉच अधिकारी द्वारा श्री टी0सी0 मिश्र पर लगाये गये आरोपों की जॉच की गई। प्रबन्ध मण्डल ने डा0 के0डी0उपाध्याय अधिष्ठाता कृषि संकाय एवं जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच आख्या का परीक्षण किया एवं सभी संबंधित प्रपत्रों का अवलोकन किया । तद्परान्त विस्तृत विचार विमर्श करके, जॉच अधिकारी की इस संस्तुति ''श्री टी0सी0मिश्र आरोपित बिन्दुओं के दोषी हैं और उनपर सभी पॉचों आरोप पूर्णतयः सिद्व होते हैं। इस जॉच आख्या के आधार पर विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय 21 की धारा 28 (आर0) की उपधारा 3 (ई)(1) के अर्न्तगत प्रबन्ध मण्डल निर्णय लेना चाहें'', पर अपनी स्वीकृति दी तथा निर्णय लिया की चूंकि, डा0 टी0सी0 मिश्र पर कदाचार (Misconduct) तथा आदेशों की अवहेलना (Disobidience) के दोषी हैं अतः परिनियम के अध्याय 21 की धारा 28 (आर0) की उपधारा 3 (ई)(1) में दी गयी व्यवस्था के अर्न्तगत श्री टी0सी0मिश्र शोध अभियन्ता, अभियान्त्रिकी महाविद्यालय इटावा की सेवायें समाप्त की जाती हैं ।

सभी उपस्थित सदस्यों ने उक्त निर्णय पर अपनी पूर्ण सहमति दिया । केवल एक सदस्य, श्री बालचन्द्र मिश्र ने अपना अभिमत व्यक्त किया कि श्री टी0सी0मिश्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में दायर रिट याचिका संख्या 1194/2001(S/B) पर दिये गये निर्देश के अनुपालन में श्री टी0सी0मिश्र द्वारा विश्वविद्यालय एक्ट की धारा 23 के अधीन महामहिम कुलाधिपति को प्रेषित प्रत्यावेदन जो कि उनके इटावा स्थानान्तरण को रोकने से संबंधित है, पर निर्णय आने तक प्रतीक्षा किया जाय । लेकिन प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि धारा 23 के अधीन कुलाधिपति महोदय को प्रेषित प्रत्यावेदन का प्रस्तुत जांच आख्या से कोई संबंध नहीं है । अतः श्री टी0सी0 मिश्र की सेवायें तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है ।

25.11.01

मद संख्या 15 (ब):

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 3.9.2001 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में डा0 मोती सिंह को निर्गत कारण बताओ नोटिस पर प्राप्त स्पष्टीकरण के सापेक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 मोती सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों पर विचार विमर्श किया एवं प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया की डा0मोती सिंह को दिनांक 1.5.94 से 31.5.96 तक की अवधि में उद्यान विभाग से अनुपस्थित रहने के कदाचार के विरुद्ध आरोप पत्र दिया जाय तथा सक्षम अधिकारी से जांच कराकर जांच आख्या आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

मद संख्या 15 (स):

प्रबन्ध मण्डल की 115वीं बैठक दिनांक 3.9.2001 में मद संख्या 9 के अर्न्तगत सर्व श्री बी0एल0त्रिपाठी, पी0के0बिसारिया एवं लालमणि को आदेशों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप आरोप पत्र देने के उपरान्त आरोपों की जॉच हेतु नियुक्त जॉच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल की 115वीं बैठक दिनांक 3.9.2001 में लिये गये निर्णय के अनुसार डा0 एच0एन0सिंह, अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा एवं जॉच अधिकारी द्वारा श्री बी0एल0त्रिपाठी, श्री पी0के0बिसारिया एवं श्री लालमणि की जॉच की गई। प्रबन्ध मण्डल ने उपरोक्त तीनों अधिकारियों की डा0एच0एन0सिंह से प्राप्त जॉच आख्या का परीक्षण किया तथा सभी संबंधित प्रपत्रों का अवलोकन किया । तद्परान्त विस्तृत विचार–विमर्श करके प्रत्येक के संबंध में निम्न निर्णय लिया :

1. श्री बी0एल0त्रिपाठी, सहायक निदेशक/सहायक प्राध्यापक के सम्बन्ध में डा0 एच0एन0सिंह, अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं जॉच अधिकारी की इस संस्तुति ''श्री बी0एल0त्रिपाठी, आरोपित बिन्दुओं के दोषी हैं और उन पर सभी आरोप पूर्णतयाः सिद्ध होते हैं। इस जॉच आख्या के आधार पर विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय 21 की धारा 28 (आर0) की उपधारा 3 (ई)(1) के अर्न्तगत प्रबन्ध मण्डल निर्णय लेना चाहें'', पर अपनी सहमति दी तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चूंकि श्री बी0एल0त्रिपाठी कदाचार (Misconduct) तथा आदेशों

25.11.01

की अवहेलना (Disobidience) के दोषी हैं अतः परिनियम के अध्याय 21 की धारा 28 (आर0) की उपधारा 3 (ई)(1) में दी गयी व्यवस्था के अर्न्तगत श्री बी0एल0त्रिपाठी सहायक निदेशक/सहायक प्राध्यापक, अभियान्त्रिकी महाविद्यालय इटावा की सेवायें समाप्त की जाती हैं ।

2. श्री पी0के0बिसारिया, तकनीकी अधिकारी/सहायक प्राध्यापक के सम्बन्ध में डा0 एच0एन0सिंह, अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं जॉच अधिकारी की इस संस्तुति '' श्री पी0के0बिसारिया, आरोपित बिन्दुओं के दोषी हैं और उन पर सभी आरोप पूर्णतयः सिद्ध होते हैं। इस जॉच आख्या के आधार पर विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय 21 की धारा 28 (आर0) की उपधारा 3 (ई)(1) के अर्न्तगत प्रबन्ध मण्डल निर्णय लेना चाहें'', पर अपनी सहमति दी तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चूंकि श्री श्री पी0के0बिसारिया पर कदाचार (Misconduct) तथा आदेशों की अवहेलना (Disobidience) के दोषी हैं अतः परिनियम के अध्याय 21 की धारा 28 (आर0) की उपधारा 3 (ई)(1) में दी गयी व्यवस्था के अर्न्तगत श्री पी0के0बिसारिया तकनीकी अधिकारी/सहायक प्राध्यापक, अभियान्त्रिकी महाविद्यालय इटावा की सेवायें समाप्त की जाती हैं ।

3. श्री लालमणि, सहायक प्राध्यापक जिन्होंने इटावा में अपना योगदान दे दिया है, के सम्बन्ध में जॉच अधिकारी डा0 एच0एन0सिंह, अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा से प्राप्त जॉच आख्या को प्रबन्ध मण्डल ने संज्ञान में लिया तथा उनकी दिनांक 4.10.2000 से 28.9.2001 तक के अनुपस्थिति अवधि के सबन्ध में निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

मद सं0 15 (द) :

विश्वविद्यालय के शिक्षकों को शासनादेश संख्या–840/12–8–400/19/94 दिनांक 10.9.84 के अधीन स्वीकृत किये गये प्रोन्नतियों/पदनामों को चयन समिति की संस्तुति के दिनांक से दिये जाने के संबंध में ।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त प्रस्ताव को आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया ।

मद सं0 15 (य):

सहायक प्राध्यापक एवं समकक्षीय पदों पर नियुक्त हेतु प्रबन्ध मण्डल ने अपनी 114वीं बैठक में यह निर्णय लिया था कि उपरोक्त पदों हेतु शासनादेश 7 फरवरी, 2000 में उल्लखित अर्हताओं के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन किया जाय । उल्लेखनीय

25.11.01

है कि संदर्भित शासनादेश में अभ्यर्थी को नेट (NET) योग्यता रखना आवश्यक है । इस प्रकरण पर प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों का अभिमत था कि पुनर्विचार होना चाहिए तथा कृषि विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में जहॉ कृषि अनुसंधान प्रमुख दायित्व है वहॉ ऐसे पदों के नियुक्ति हेतु शोध अनुभव/पी0एच0डी0 डिग्री को भी वैकल्पिक अर्हता के रुप में सम्मलित किया जाय ।

उक्त प्रकरण को आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

25.11.01

(राजीव कुमार दीक्षित)

दिनांक: 25.11.2001

अर्थनियत्रंक एवं सचिव

प्रबन्ध मण्डल